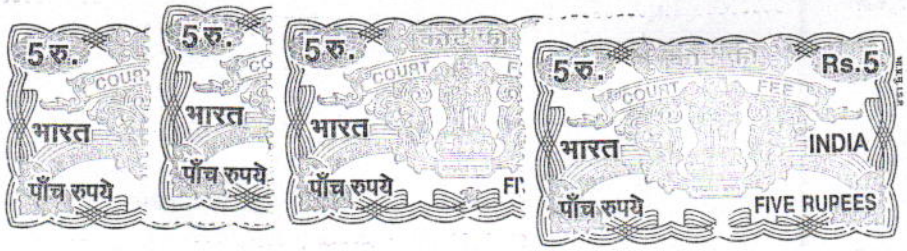

112

5 रु. COURT भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. COURT भारत पाँच रुपये 5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर म0प्र0 (सागर कैम्प)

निग -४२९-II-16

1, नाथूराम बल्द स्व गणेश पटेल
2, रामकिसन बल्द गणेश पटेल
3, मुकेश बल्द स्व गणेश पटेल

तीनो निवासी- ग्राम बरोदा सागर तहसील व जिला सागर

4, श्रीमति मीना बल्द स्व गणेश पटेल ,पत्नि कमल पटेल
निवासी- ग्राम बरेखेरा,तहसील व जिला सागर म0प्र0

5, श्रीमति शकुन बल्द स्व गणेश पटेल पत्नि सुखलाल पटेल
निवासी- ग्राम मैनपानी तहसील व जिला सागर

6, श्रीमति राधारानी बेवा गणेश पटेल
निवासी- ग्राम बरोदा सागर तहसील व जिला सागर

पुनरीक्षणकर्तागण/अपीलार्थीगण / याचिकाकर्तागण

// बनाम //

1, लक्ष्मीनारायण पिता ओंकार पटेल
2, परसादी पिता ओंकार पटेल
3, दुर्गाशंकर पिता ओंकार पटेल
4, गोविंद पिता ओंकार पटेल
5, रामदुलारी बेवा ओंकार पटेल
6, श्रीमति आशारानी बेवा दुर्गाप्रसाद पटेल
7, कु0 प्रीति | नाबालिक बल्द स्व दुर्गाप्रसाद पटेल बली मां आशारानी
कु0 प्राची | बेवा स्व दुर्गाप्रसाद पटेल
सोहन |
निवासी- बिल्थरिया जी के मकान के सामने 20 उबलया मार्ग,
वार्ड न035 राजीव नगर सागर म0प्र0

प्रतिपुनरीक्षण--प्रतिअपीलार्थी
-उत्तरवादी

अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू0रा0सं01959

अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के राजस्व प्र0क्र0 53अ/6(अ)-2014-15 मे पारित आदेश दिनाक 05-01-16 से परिवेदित होकर पुनरीक्षणकर्तागण की तरफ से निम्न आधारो पर याचिका प्रस्तुत है :-

// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य //

यह कि,याचिकाकर्तागण ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार सुरखी के द्वारा रा0प्र0क्र0- 18अ/6 (अ) वर्ष 2000-01 मे पारित आदेश दिनाँक 06-10-2001 से के विरुद्ध इस आशय की अपील पेश की थी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 429–दो/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–3–2016	मैंने विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया । यह निगरानी आवेदन अनुविभागीय अधिकारी, सागर के आदेश दिनांक 5–1–16 से परिवेदित होकर प्रस्तुत हुआ जिमसें अनुविभागीय अधिकारी ने विलंब माफी हेतु धारा 5 के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है । आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क के दौरान अभिलेखों का संदर्भ लेते हुए बताया कि नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–10–2001 बंदोबस्त त्रुटि के सुधार से संबंधित है, जैसा कि उसके अंतिम पृष्ठ के प्रथम पैरा के आखिर में स्पष्टतः लिखा है, और नायब तहसीलदार ने अपने आदेश के अंत में उसको दुरूस्त किए जाने के आदेश दे दिए हैं । उन्होंने कहा कि बंदोबस्त त्रुटि में सुधार का अधिकार नायब तहसीलदार को नहीं होने के कारण, नायब तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर था । साथ ही उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी को उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था, बंदोबस्त त्रुटि में सुधार के संबंध में पहले निगरानी का अधिकार कलेक्टर को था, जो अब राजस्व मण्डल को है । उन्होंने नायब तहसीलदार के अनन्तिम पृष्ठ के अंतिम अंश का संदर्भ लेते हुए यह भी कहा कि प्रकरण में गुणदोष के आधार पर भी अधिक	

स्पष्टता और पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें त्रुटियां हैं ।

तर्क के प्रकाश में अभिलेख के परिशीलन से मैं यह पाता हूँ कि (एक) नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–10–01 बंदोबस्त त्रुटि सुधार से संबंधित होने के कारण अधिकारिता विहीन था, (दो) कोई अधिकारिता–विहीन–आदेश गौण और शून्यवत ही माना जाएगा, जिस कारण से उसकी अपील या निगरानी नहीं हो सकती ।

उपरोक्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 5–1–16 स्वयमेव ही प्रभावहीन हो जाता है, साथ ही बंदोबस्त त्रुटि सुधार आदेश की अपील का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं होने से वह क्षेत्राधिकार विहीन भी हो जाता है, एवं गौण माना जाता है और अपास्त किया जाता है ।

मेरा मानना है कि नायब तहसीलदार ने जब बंदोबस्त की त्रुटि पाई थी तो उन्हें अपना क्षेत्राधिकार चेक करते हुए प्रकरण सक्षम अधिकारी/न्यायालय की ओर भेज देना चाहिए था, या उनके न्यायालय के आवेदक को अपना आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दे देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया । अनुविभागीय अधिकारी ने भी ऐसे किसी बिन्दु पर एवं स्वंय अपने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विचार किए बगैर अपना आदेश पारित कर दिया, जो उचित नहीं था। यदि पक्षकारों को न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों से संबंधित सही जानकारियों ना हों तो बगैर क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों को बगैर किसी विलम्ब पक्षकारों को इस संबंध में मार्गदर्शन एवं निर्देश दे देने चाहिएं और अपने न्यायालयों से प्रकरण क्षेत्राधिकार के बिन्दु स्पष्ट

करते हुए निराकृत कर देने चाहिए, ताकि न्याय में विलंब या न्याय का हनन ना हो । उपरोक्त के प्रकाश में मैं नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 6–10–2001 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 5–1–16 एतद्द्वारा अपास्त करता हूँ ।

साथ ही, बंदोबस्त त्रुटि सुधार के मामलों में सुनवाइ का क्षेत्राधिकार कलेक्टर के पास होने के कारण मैं कलेक्टर, सागर को यह निर्देश देता हूँ कि वे नायब तहसीलदार, सुरखी के प्रकरण कमांक 10/अ6(अ)/2000–01 को अपने न्यायालय में खोलकर, उभयपक्ष को सुनवाई, साक्ष्य आदि का अवसर, गुणदोष के आधार पर, स्व स्पष्ट एवं बोलते स्वरूप के आदेश से निराकृत करें । चूंकि प्रकरण पहले ही काफी पुराना हो चुका है, अतः कलेक्टर राजस्व मण्डल के इस आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम 6 माह के भीतर, उपरोक्तानुसार अपना आदेश पारित करें ।

यह निर्देश, सक्षम विचारण न्यायालय द्वारा अभी तक प्रकरण की विषयवस्तु के गुणदोष पर विचार कर आदेश पारित नहीं किए गए होने के कारण, न्यायहित में दिया जा रहा है ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य